

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी- श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर. ए. एस. प्रथम लिंक अधिकारी
राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./214/2025/बाड़मेर
अपीलांट
रेस्पोंडेन्ट्स

देराजराग पुत्र मंगनाराम, उम्र 48 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी सीलगण, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर हाल बालोतरा।	1. पूनमाराम पुत्र लिछमणाराम 2. आसूराम पुत्र मंगनाराम 3. कानाराम पुत्र मंगनाराम 4. गंवराराम पुत्र मंगनाराम 5. अमराराम पुत्र मंगनाराम 6. वीजाराम पुत्र लिछमणाराम फौत के कायम मुकाम- 6/1. रूपाराम पुत्र वीजाराम 6/2. रिडमलराम पुत्र वीजाराम 6/3. बालाराम पुत्र वीजाराम, जाति मेघवाल, निवासी सीलगण, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर हाल बालोतरा। 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार व उपपंजीयक धोरीमन्ना। 8. प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना। 9. प्रबंधक एसवीआई शाखा धोरीमन्ना।
--	--

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 72/2020 बउनवान पूनमाराम बनाम आसूराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2025 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति-

1. वकील श्री मदनलाल विश्नोई अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री करणसिंह राजपूरोहित रेस्पों. संख्या 1, 6/1 से 6/3 की ओर से।
3. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पों. संख्या 9 की ओर से।
4. शेष रेस्पोंडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

-:निर्णय:-

दिनांक:-08.04.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पों. संख्या 1 वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स व रेस्पोंडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा भीमथल, तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 34 रकबा 46.13, खसरा संख्या 44 रकबा 24.10 बीघा, खसरा संख्या 113 रकबा 126 बीघा कुल रकबा 197.03 बीघा,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौजा लौहारवा पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 413 रकबा 09 बिस्वा व मौजा लखारी नाडी पटवार क्षेत्र लोहारवा, तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 85 रकबा 04.06 बीघा के आये हुए है। तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग हिस्से खुले हुए हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादी (अपीलांट) को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.01.2025 को जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया रेस्पों. संख्या 1 वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटस व रेस्पोंडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा भीमथल, तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 34 रकबा 46.13, खसरा संख्या 44 रकबा 24.10 बीघा, खसरा संख्या 113 रकबा 126 बीघा कुल रकबा 197.03 बीघा, मौजा लौहारवा पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 413 रकबा 09 बिस्वा व मौजा लखारी नाडी पटवार क्षेत्र लोहारवा, तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 85 रकबा 04.06 बीघा के आये हुए है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग हिस्से खुले हुए हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादी (अपीलांट) को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.01.2025 को जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अवसर प्रदान किये बिना ही वादी की एकतरफा



राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वहस सुनी ऒलकर अडीललधीन निर्णुत डररत कुरलत है ऒु वरधर वररुदुड डररत कुरलत गलत है। अडीललंड कुु ऒवलव दलवल गत कलउनुतर वलेग डुरतुत करुने कल अवसर ही डुरदलन नही कुरलत गलत। अधीनरथ नुतलडललत ने गी अडीललंड की तलगील के वलरे डें कुुई ऒलंड नही की। ऒवकुर अधीनरथ नुतलडललत दुरलर तलगील की डुरकुरलत रीडुरी अलदेश 5 नुतड 17 से 20 के अनुसर डुरी कुरते वरनल ही ऒलरी की गई। अधीनरथ नुतलडललत दुरलर संडुन कुरु वरधरवत रुरु से अडीललंड से तलगील नही करवलतल गलत है तथल अडीललंड के नलग से डुरथड वलर ही डलक से नुतरस ऒलरी कुरते गते हैं ऒवकुर वरधरवत रुरु से डुरथड वलर डें ऒररुत तलगील कुनरंदल से संडुन तलगील करवलतल ऒलनल अवशुतक है डुरनुतु हसुतगत डुरकरण डें डुरथड वलर डें ही डलक से नुतरस डेडे गते तथल नुतरस अडीललंड से वरधरवत तलगील ही नही हुई है तथल डलक डरलने की ए.डी. डी डुरतलवलती डें डुडुद नही है। डुरर डी अडीललंड के वररुदुड वरधर के वरडुरीत ऒलकर एकतरडल करुतलवलही डुरसुतलवलत करुते हुए अडीललधीन निर्णुत एवं डुरकुरी डररत की गई है। अडीललधीन वलद डुरतु उदुघुडणल कल थल ऒरसडें सलशुत ली ऒलनी वरधर अनुसर अलढलडक हुतल है ऒरसकल हसुतगत डुरकरण डें अडलव है। उकुत अडीललधीन निर्णुत अधीनरथ नुतलडललत दुरलर वरनल कुुई तथुतुं की ऒलंड कुरते तथल वरनल डुरतलवलदी (अडीललंड) कुु सुकुनल डुरदलन कुरते वरधरक डुरकुरलत अडनलते वरनल ही डुरलकुरतक नुतलड के सलदुधलनुतुं से डुरे ऒलकर वरधर वररुदुड अडीललधीन निर्णुत डररत कुरलत है, ऒु खलररर ऒुरते ऒलने डुगुत है।

सलथ ही वकील अडीललंड ने वहस करुते हुए नरवेदन कुरलत कुरलत अधीनरथ नुतलडललत के डुरकरण की सडसुत अलदेशलकलकुुं के अवलुकन डलतुर से ही सडसुत है कुरलत वलद करुतलवलही नुतलडत रुरु से संकुललत नही की गई। तथल डुरतलवलदी(अडीललंड) कुु वरनल सुकुनल डुरदलन कुरते ही अलनन-डलनन डें ही अधीनरथ नुतलडललत दुरलर रेकलरुडड खलतेदलर अडीललंड के हलतुं डुर डलरी कुुडलरलघलत कुरलत है। अडीललंड वलदगुरसुत अलरलकी कल रेकलरुडड खलतेदलर है तथल एक रेकलरुडड खलतेदलर कुु सुनवलई कल अवसर डुरदलन कुरते वरनल ही उसके वररुदुड एकडकुीत करुतलवलही अडलन डें ललई गई ऒु वरधर के सुसुथलडलत सलदुधलनुतुं के खलललड है। ऒवकुर डुरलकुरतक नुतलड के सलदुधलनुतुं के अनुसर अडीललंड ऒु कुरलत वलदगुरसुत अलरलकी कल रेकलरुडड खलतेदलर है कुु सुनवलई कल सडुकुरत अवसर डुरदलन कुरलत ऒलनल अवशुतक एवं नुतलडुकुत थल। उकुतलनुसर अधीनरथ नुतलडललत दुरलर वरधर एवं वरधरक डुरकुरलत कुु अनदेषुी करुते हुते अडीललधीन निर्णुत डररत कुरलत है। अडीललंड कुु अधीनरथ नुतलडललत दुरलर सुनवलई कल सडुकुरत अवसर नही दलतल ऒु डुरलकुरतक नुतलड सलदुधलनुतुं के खलललड है। अडीललंड कुु सुने वरनल निर्णुत डररत कुरलत गलत है। अधीनरथ नुतलडललत दुरलर अडीललधीन निर्णुत व डुरकुरी वरधर दुरलर सुथलडलत डुरकुरलत कल डललन कुरते वरनल डररत की गई। अतः अडीललंड की अडील सवीकलर कर अधीनरथ नुतलडललत कल निर्णुत एवं डुरकुरी कुु खलररर डुरडलतल ऒलवे।


रलढसुत अडील डुरलधरकुरी
डलडडेर

अधिवकुतल रेसुडुडेनुतु ने डहस करुते हुए नलवेदन कलडल कल अडीललंडस व रेसुडुडेनुतुस कल संडुकुत खलतेदलरी कल अडीललधलन आरलकल कल डुके डर डुखलक वंतवलरल कलडल हुआ है तथल रलकसुव रेकरुड डें अलक-अलक हलसुसे खुले हुडे हैं डरनुतु वलधलवत डंतवलरल नहल हुआ है। कलस करलण डकुषकरलन के डधुड कडुडे कलशुत कुले कलकर वलवलद रहतल है, इसलललए रेसुडुडेनुतु/वलदी अडने हलसुसे कल डुडल कल डुके डर कडुडल-कलशुत के अनुसलर डंतवलरल करवलनल कलहते हैं, कलस हेतु अडीललधलन वलद अधलनसुथ नुडलडललड डें डेश कलडल थल। कलस डर अधलनसुथ नुडलडललड दुवलरल डुरलवलदीकण कुले डरुडलडुत अवसर डुरदन कलडे कलने के डलद डल डडलव दलवल डुरसुतुत नहल करुने डर अडीललधलन नलरुणुड डरलरलत कलडल कलडल है, कलसडें कलसुल डुरकर कल वलधलक तुरुतल नहल कल कलई है। इसके अतलरलकुत अधलनसुथ नुडलडललड दुवलरल अकुर डुरलवलदी के वलरुदुध एकतरडल करुडलवलही डुरसुतलवलत कल कलई है तुले डुरलवलदी/अडीललंड दुवलरल अधलनसुथ नुडलडललड के सडकुष आदेश 9 नलडड 13 कल डुरलरुथनल-डुतुर डुरसुतुत करुने कल वलधलक सुवंततुरतल डुरलडुतु हेतु डुडल हलकल नुडलडललड के सडकुष अडील डुरसुतुत कल कलई है कलसकल कुलई अुडलकुतुड नहल है। उकुतलनुसलर अधलनसुथ नुडलडललड दुवलरल अडीललधलन नलरुणुड कुले डुरणुतडल: वलधल सडडुत अवं वलधल के सुसुथलडलत सलदुधलनुतुल के अनुरुड कलडल कलडल है। अडीललधलन नलरुणुड कल वलदडुरसुत आरलकल डर सडुल डकुषकरलन अडने-अडने हलसुसे कल कलडलन डर कडुडल-कलशुतशुदल हैं। रेसुडुडेनुतुस संखुडल 01(वलदी) कुले अडनल हक-हलसुसे कल आरलकल कुले उडकलऊ डनलने अवं अडने कुरुषल करुडुल के वलकलस हेतु डेंक संसुथललु से ःदुण आदल डुरलडुत करुने डें डरेशलनलडुल कुले सलडनल करुनल डड रहल थल। इसलललडुल सडुल डकुषकरलु के डधुड अडने-अडने कडुडे-कलशुत अनुसलर डलई डुडुस अणुड डलउणुडुस के डंतवलरल करुने हेतु वलद डेश कलडल थल। कलस अनुसलर वलडलकन डुरसुतलव रलकसुथलन कलशुतकलरी अधलनलडड (रलकसुव डणुडल) के नलडड 18 से 21 कल डललनल करुते हुए तैडलर कलडल कलडल है। वलडलकन डुरसुतलव कडुडल कलशुत अनुसलर डुरलडुतु हुआ है। सलथ ही हसुतकत डुरकरण कल वलदडुरसुत आरलकल के डकुषकरलन के डधुड हलसुसुल कुले कलकर कुलई वलवलद नहल है। अुर नल ही हलसुसे कुले कलकर अडीललंड दुवलरल कुलई डुरशुन हलकल नुडलडललड डें कलडल कलडल है। कलस डर अडीललधलन आदेश डलरलत कलडल है। कलसडें कलसुल डुल डुरकर कल वलधलक डुल अधलनसुथ नुडलडललड दुवलरल नहल कल कलई है। अधलनसुथ नुडलडललड कल हसुतकत डुरलवलडी कल आदेशलकल के अवलुकन से डुल डह सुडुषुतु हेतुल है कल अडीललंड/डुरलवलदीकण कुले तलडुल हेतु नुलतलस डुरेषलत कलडल कलडल थल। डलद तलडुल डुरलवलदीकण वकललतन उडरसुथलतल आडे है। उकुतलनुसलर अधलनसुथ नुडलडललड दुवलरल अडीललंडस कुले सुनवलई कल सडुडलत अवसर दलडल कलडल। अधलनसुथ नुडलडललड दुवलरल अडीललधलन नलरुणुड वलधल दुवलरल सुथलडलत डुरकुरलडल कल डललन करुते हुए डलरलत कलडल कलडल कलसडें कलसुल डुरकर कल कुलई वैधलनलक तुरुतल दुरुषुतलकुलर नहल हेतुल है। अत: अडीललंडस कल अडील कुले सलरहीन हेने से खलरलक डरडलडल कलडे। वकलल रेसुडुल. दुवलरल अडने उकुत कथनुल के सडरुथन डें नुडलडलक नलरुणुड डुरसुतुत कलडल कलडल।


रलकसुव अडील डुरलधलकलरी
डलडुडर

देराजरां वनलड डूनडररड वगैरह
अडील संखुडर 214/2025

वकील अडीलरंड ने धरर 5 लिडडरेशन के डररुथनर-डुतुर डर वरहस कररते हुए डतररर कि अडीलरधीन आदेश एकडकीड रूड से डरररत कुरर डररर। अडीलरंड हसुतगत डुरकरण वरदगुरसुत आरररकी कर ररकरर्डड खरतेदरर है। अडीलरधीन नररुणड की डरलनर डें वरडररजन डुरसुतवर हेतु तहसील कररररलय कर कररुडक नुतरस लेकर अडीलरंड के धर आडर एवं वरडररजन डुरसुतवर तैडरर कररने कर डतररर तड डरकर अडीलरंड धररर नकल ली गई। इसके डरद अडीलरंड कु सडुडूरुण तथुडुं की डरनकररी हुई, डरनकररी हुते ही अडील शुरीडरन डी के सडकुष डेश कर दी। डरद डरनकररी डह अडील अनुदर डुडरड डेश है। अडील डेश कररने डें हुआ वरलंड सडडरवक है अतः अडील अनुदर डरररड शुरडरर की डरवे।

वकील रेसुडुडेंड ने धरर 05 डरररड अधरनरडड के डररुथनर-डुतुर डर वरहस कररते हुए डतररर कि अधीनसुथ नुडररलय धररर अडीलरंडस डर सडुडनुं की सडुडक तरडील करवरडे डरने के डरद अधीनसुथ नुडररलय के सडकुष उडररुथत नही आडे और अडीलरंड धररर नुडररलय डें डरवरड दरवर डुरसुतुत नही कररने के कररण इनके वररुदुध एकडकीड कररुडवरही अडल डें लरते हुए वरदी की ओर से डुरसुतुत दसुतवेडी सरकुष के आधरर डर वरधरसडुडत नररुणड एवं डुररथडरक डरकुरी डररी की हैं। अधीनसुथ नुडररलय धररर तलड वरडररजन डुरसुतवर नररडडरनुसर तैडरर कुररर डरर है तथर वरडररजन डुरसुतवर तैडररी से डूरुव अडीलरंडस कु सूडरत कुररर डरर है। अडीलरंडस धररर हसुतगत अडील डररवडुद डरनकररी अतुडंत वरलंड से डेश की है, डरसकर कुई संतुषडनक कररण नही डतलरर डर है। ऐसी रररुथरत डें अडील सररहीन एवं डुडरड डरधरत हुने से खररररर डररडररी डरवे।

उडडरडकुष के वरदुधरन अधरवकुतरओ की धरर 05 लिडडरेशन डुररुथनर-डुतुर डर वरहस सुनने के डशुतत नुडररलय इस नररुषकरुष डर डहुंडर है कि हसुतगत डुरकरण कर नरसुतरण तकनीकी वरंदुओ के आधरर डर खररररर कररने की डरररड इसकर नरसुतरण गुणरवगुण के आधरर डर कुररर डरनर डुकुतरडुकुत एवं नुडररडुधरत है। लरहरररर हसुतगत अडील कु अनुदर डरररड शुरडरर की डरती है।


डुतुररवली कर अवलुकन व उडडरडकुष के वरदुधरन अधरवकुतरओ की वरहस डर डनन कररने के डशुतत डह तथुड डुरकड हुआ कि अधीनसुथ नुडररलय धररर अडीलरधीन नररुणड एवं डुररथडरक डरकुरी के डरररडे हसुतगत डुरकरण की वरदगुरसुत आरररकी डुडर डीडडथल, तहसील धुरीरडनुनर के खेत खसुरर संखुडर 34 रकडर 46.13, खसुरर संखुडर 44 रकडर 24.10 डीघर, खसुरर संखुडर 113 रकडर 126 डीघर कुल रकडर 197.03 डीघर, डुडर लुुहररवर डरुतवरर कुषुतुर लुुहररवर तहसील धुरीरडनुनर के खसुरर संखुडर 413 रकडर 09 वरसुवर व डुडर लखररी नरडी डरुतवरर कुषुतुर लुुहररवर, तहसील धुरीरडनुनर के खसुरर संखुडर 85 रकडर 04.06 डीघर डुडर डें वरदी एवं डुरतवररदीगण के ररररसुव रेकरुड डें दरुड हरसुसे अनुसरर रररररुथरन तुनरनुसी (सरकररी) नररड 1955 के नररड 20 से 21 की डूरुण रूड से डरलनर डें वरधरसडुडत एवं नररडडरनुसर By metes & Bound सरदुधरंत के अनुसरर वरडररजन डुरसुतवर तलड कुररर डरर है। अडीलरंड धररर डकुषकरररन के डधुड हरसुसुं कु लेकर कुई वरवरद डररहर नही कुररर

ररररसुव अडील डुररधकररी
डरडडर


देराजराय बनाम पूनमाराम वगैरह
अपील संख्या 214/2025

गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हक-हिररो में किररी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा हक-हिररो में वियाद वावत किररी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। जहां तक अपीलांट को सुनवाई का प्रश्न है उसके संबंध में यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स/प्रतिवादी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन प्रेषित किये गये। अपीलांट बाद तामील के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का प्रयाप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा किये कथनों पर विश्वास किया जाता है तो फिर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलांट द्वारा उपस्थित नहीं आने के संबंध में उक्त कथनों का कोई सार नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होने से हाजा न्यायालय की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील अपीलांट की सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 72/2020 बउनवान पूनमाराम बनाम आसूराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2025 को यथावत रखा जाता है। तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान को सम्यक रूप से सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।


(राजस्व अपील प्राधिकारी,
प्रथम लिंक प्राधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर